



प्रपत्र- "क"  
(नियम 3 (1) देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र  
आई०डी०सं०- 01/18-19  
(कार्यालय प्रयोग के लिए)

92494  
297378

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी  
(विभाग/कार्यालय) पुत्रा निर्माण विभाग  
बिहार, पटना

1. आवेदक का नाम - सरकाराल आलम,
2. पूरा पता बिरला कॉलनी निकट सखल नदी ITC, मुलबारी, पटना
3. माँगी गई सूचना का ब्योरा (संक्षेप में) :- पूरी पदाधिकारी को नगर अंदाज कर श्री उमेश कुमार को बिहार राज्य पुल निर्माण विभाग लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया किन्तु निम्न के तहत आविष्कृत किया गया है कृपया सुस्पष्ट जानकारी देने का कष्ट करें।
4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं हैं। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
5. (1) मैंने ..... रुपये (शब्दों में) .....  
(रु.ड.) तिथि ..... को रसीद सं. SB 154890 से विभाग/कार्यालय में भुगतान किया है।  
(2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश सं. .... दिनांक SB 154892, SB 154893, SB 154894 जो लोक सूचना पदाधिकारी पदाधिकारी के पक्ष में 10/- SB 154891 बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता/करती हूँ।  
(3) मैंने ..... रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।  
(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

366/सु०५०८  
28-3-18  
28-3-18

स्थान : पटना  
तिथि : 16/3/18

सरकाराल आलम  
28/3

आवेदक का हस्ताक्षर  
ई-मेल पता, अगर कोई हो  
सरकाराल आलम  
दूरभाष सं. (कार्यालय)  
(आवास)

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता:  
बिरला कॉलनी निकट ITC,  
मुलबारी शक्ति पटना

नोट :- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।  
जो लागू नहीं है उसे काट दें।

## प्रपत्र 'ज'

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई०डी० सं.-01/18-19 2513 (E) पटना, दिनांक-3/4/18

प्रेषक:

शैलेन्द्र कुमार,  
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-लो०सू०पदा०,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप सचिव (प्र०को०), प्रभारी प्रशाखा-01,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री सरफराज आलम का सूचना-आवेदन दिनांक-16.03.2018, जो इस विभाग में दिनांक-27.03.2018, को प्राप्त हुआ है (आई०डी० सं०-01/18-19) इसके साथ संलग्न किया जाता है :-

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा-5 (4) के आलोक में प्रपत्र-'क' को आपके क्षेत्राधिकार/प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा-5 (5) के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र-'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर प्रपत्र-'क' के आलोक में, वांछित सूचना दो सेट में/यदि सूचना शुल्क आवश्यक हो तो वांछित शुल्क की जानकारी, उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

शैलेन्द्र कुमार,  
02.4.18

(शैलेन्द्र कुमार),

दिनांक-3/4/18

ज्ञापांक-2513 (E)

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

शैलेन्द्र कुमार,  
02.4.18  
(शैलेन्द्र कुमार)

प्रपत्र 'घ'

(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई0डी0सं0-01/18-19 2883(E) पटना, दिनांक-17/4/18

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,  
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-लो०सू०पदा०,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री सरफराज आलम,  
बिरला कॉलोनी, निकट-सरवर जहाँ,  
ITC, फुलवारी, पटना।

महाशय,

यह आपके सूचना आवेदन दिनांक-16.03.2018, जो इस विभाग में दिनांक-27.03.2018 को प्राप्त हुआ है (आई0डी0सं0-01/18-19) सूचना की माँग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

2. याचित सूचना, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2793(E) दिनांक-12.04.2018 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(शैलेन्द्र कुमार)

ज्ञापांक-2883 (E)

पटना, दिनांक-17/4/18

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2793(E) दिनांक-12.04.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(शैलेन्द्र कुमार)

पथ निर्माण विभाग,  
कम्प्यूटरीकृत निर्मित  
पंजीयन वि०  
दिनांक

18-4-18

18-4-18



बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

03

पत्र सं० : 1/सू०अ०-11/2018  
प्रेषक,

2793 (E)

पटना, दिनांक 12/4/18

प्रशाखा पदाधिकारी  
प्रशाखा-1  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।  
सेवा में,

उप निदेशक (क्रय एवं परि०)  
-सह-लो०सू०पदा०,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदक श्री सरफराज आलम द्वारा माँगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। (आई०डी०सं०-01/18-19)

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आवेदक श्री आलम द्वारा माँगी गयी सूचना के संबंध में कहना है कि पथ निर्माण विभाग में कार्यरत अधीक्षण अभियंताओं (असैनिक) में सम्प्रति श्री उमेश कुमार वरीयतम है।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का प्रभारी प्रबंध निदेशक बनाने के क्रम में तत्समय श्री उमेश कुमार से वरीय अधीक्षण अभियंता (असैनिक) श्री वीरेन्द्र कुमार का निगरानी प्रतिवेदन प्रतिकूल होने की वजह से वरीयता में दुसरे क्रम पर आने वाले श्री उमेश कुमार को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का प्रभारी प्रबंध निदेशक बनाया गया।

विश्वासभाजन

प्रशाखा पदाधिकारी  
12.4.18

प्रशाखा-1  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

म. निजी  
7/4/18

40का16

445  
16/04/18

431/40का16  
13-4-18